सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01/2013 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 01/13

1.पन्नेसिंह पुत्र रिडमालसिंह जाति राजपूत निवासी 68 एन.पी. तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार

बनाम

1. धर्मपाल
2. बृजलाल
3. राजाराम पिसरान श्योकरण
4. कमला पत्नी बृजलाल

अकवाम कुम्हार सकनाए 68 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13(1–क) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थिति : 1. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से
2. श्रीसुभाष मिढा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

दिनांक : 22–8–16

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील एल0आर0 एक्ट सं0 1176/06 अनवान धर्मपाल वगैरा बनाम पन्नेसिंह व स्टेट में पारित आदेश दिनांक 17–12–12 के अनुसरण में रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी पन्नेसिंह ने प्रार्थना पत्र अ0 धारा 13/14 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि श्री प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी 68 एन पी को चक 68 एन पी0 के मु0 नं0 32 की 25–00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हुई थी। प्रेमसिंह का देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान द्वारा दिनांक 2–8–75 को उक्त भूमि में से कि0 नं0 22 व 25/4–00 बीघा भूमि बैयनामा द्वारा बिना मन्जूरी श्री स्वर्णसिंह पुत्र जीसुखराम जाति कुम्हार को बेचान कर दी है। अतः रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र कम सं0 1778/92 पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा समस्त विधिक कार्यवाही के उपरांत दिनांक 21–7–95 को धारा 13ए(1) राज0 उपनिवेशन अधिनियम में श्रवणराम, संतराम व सुरजाराम पिसरान जीसुखराम कुम्हार द्वारा दिनांक 15–6–87 को बेचान नियमित किया जा चुका है, लेकिन धर्मपाल, कमला व तींजा द्वारा शमन शुल्क जमा नहीं कराया गया था। अतः धारा 13 राज0 उपनिवेशन अधिनियम की उल्लधंना में हस्तान्तरण होने केकारण चक 68 एन पी के मु0 नं0 32 कि0 नं0 1 ता 12 की 12–00 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारितकिये गये थे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 399/95 धर्मपाल वगैरा द्वारा दायर की गई, जिसके निर्णय दिनांक 20–10–01 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर केआदेश दिनांक 20–10–01 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील एल आर 1176/06 दायर की गई, जिसके निर्णय दिनांक 17–12–12 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–7–95 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 20–10–01 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 2–8–75 को विधि मान्यकरण के लिए अधिसूचना दिनांक 30–9–11 के कम में आवेदन प्रस्तुत करें तो उक्त आवेदन पर नियमानुसार विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 17–12–12 की पालना में जरिये अधिवक्ता बृजलाल वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय की पालना का निवेदन किया तथा दिनांक 15–12–14 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा शमन फीस व ब्याज की राशि जमा कराने की अवधि बढ़ा दी गई है तथा प्रार्थीगण राशि जमा कराना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र पर डी0 आर0 की रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट के अनुसार शमन फीस की राशि 7200–00 रूपये एवं ब्याज की राशि 28512–00 रूपये कुल 35712–00 रूप्ये की राशि बकाया होना डी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित की गई। उक्त रिपोर्ट की पालना में 35800–00 रू0 राजाराम पुत्र श्योकरण द्वारा दिनांक 26–12–14 को बैंक में जमा करवा कर ई चालान की प्रति पेश की है जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रेमसिंह पुत्र काहनसिंह जाति राजपूत सा0 68 एन पी अलॉटी को दिनांक 24–4–75 को प्राप्त हो चुके थे। उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 20–4–68 को हुआ था। भूमि का बेचान स्वर्ण से हरीजन व हरीजन से स्वर्ण को नहीं हुआ है। बकायश समस्त राशि डी0 आर0 ए0 की रिपोर्ट के अनुसार जमा हो चुकी है। नियमानुसार जमा राशि का चालान शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थीगण – खरीददारान के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि मौके पर खरीददारान काबिज हैं। भूमि का आवंटन दिनांक 20–4–68 को हुआ था। खातेदारी अधिकार दिनांक 24–4–75 को मिले थे। भूमि का बेचान दिनांक 2–8–75 को हुआ है। रकबे का बेचान खातेदारी भूमि का हुआ है। बकाया समस्त राशि डी0आर0ए0 की रिपोर्ट के अनुसार जमा कराई जा चुकी है। अतः नियमन आदेश जारी किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की अपील एल आर एक्ट सं0 1176/06 में पारित आदेश दिनांक 17–12–12 की पालना में विकय पत्र दिनांक 2–8–75 द्वारा चक 68 एन पी के मु0 नं0 32 के कि0 नं0 22 ता 25 कुल 4–00 बीघा भूमि का बेचान किया गया है। निर्णय दिनांक 21–7–95 के अनुसार श्रवण कुमार, सन्तराम व सुरजाराम पिसरान जीसुखराम जाति कुम्हार द्वारा मु0 नं0 32 की कि0 नं0 22 ता 25, 18 ता 21 एवं 13 ता 17 कुल 13–00 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 15–6–87 को किया जा चुका

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

01
2013 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

है तथा चक 68 एन पी के मु0 नं0 32 के कि0 नं0 1 ता 12 की कुल 12–00 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्यूम के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश को मा0 राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 17–12–12 से निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब केवल मु0नं0 32 के कि0 नं0 1 ता 12 की कुल 12–00 बीघा भूमि के विक्रय को विधिमान्य घोषित किया जाना है ।

उक्त अन्तरण को विधि मान्य घोषित करवाने के लिए डी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 24–12–14 के अनुसार नियमन शुल्क राशि शमन फीस एक मुश्त 7200–00 रूपये एवं इस पर ब्याज 1–1–93 से 18 प्रतिशत की दर से 28512 रूपये कुल 35800–00 रूपये जरिये ई चालान दिनांक 26–12–14 से जमा हो चुके है। उक्त भूमि का अन्तरण हरिजन से स्वर्ण को नहीं हुआ है और न ही फ्रेगमेंट के रूप में अन्तरण हुआ है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचता कि उक्त अन्तरण आवंटन के सात साल के पश्चात खातेदारी मिलने के बाद किया गया है। डी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 24–12–14 के अनुसार शमन फीस एवं ब्याज की राशि एकमुश्त जमा हो चुकी है इसलिए धारा 13(1–ए) के तहत दिनांक 02–08–75 को अप्रार्थीगण (क्रेतागण) के पक्ष में हुए अन्तरण को विधिमान्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का राजस्व अभिलेखो में अंकन किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22–08–2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner